

## अनुमति की शर्तें ।

- (i) सक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल आवासीय तृतीयनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक २१४ दिनांक ०४/१२/२०२०

श्री. श्री. श्री. सुभा शर्मा जी. श्री. फरीन कुमार शर्मा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम २००९

धारा १९४ (१) (घ) के तहत आवासीय P-NO: १२२/१६१ चौयास्ती

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये १०९४१/- जमा

जरिये रसीद संख्या १०६९१/५०२१/५०२२

दिनांक ०४/१२/२०२० को जमा करा दी है ।

०४/१२/२०२०

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

०४/१२/२०२०

५.१२.२०२०